भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-280

जिसका उत्तर 11 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

पारेषण लाइनों को स्वीकृति

***280. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः**
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) कार्यान्वयनाधीन नवीकरणीय परियोजनाओं या जून 2018 तक प्रचलित नियमों के अधीन स्वीकृत निविदा की गई परियोजनाओं को 2020 के अंत तक अपेक्षित पारेषण लाइन स्वीकृत करने पर सहमत नहीं हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या नई प्रक्रिया के अंतर्गत स्वीकृति में लगभग एक वर्ष लगता जब तक कि निर्माणाधीन नवीकरणीय परियोजनाएं धारा में आने लगतीं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विद्युत निकासी अवसंरचना के अभाव के कारण निवेश फंसा रहता और यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) इस मुद्दे को प्राथमिकता आधार पर समाधान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"पारेषण लाइनों को स्वीकृति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 11.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 280 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) और (ख) : 66.5 गीगावाट के अभिज्ञात नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को समेकित करने के लिए एक व्यापक पारेषण योजना तैयार की गई है, जिसे दो चरणों में कार्यान्वित किए जाने की योजना है। चरण-I के अन्तर्गत (दिसम्बर, 2020 तक) लगभग 28 गीगावाट की आरई परियोजनाओं की आयोजना की गई है और शेष 38.5 गीगावाट चरण-II (दिसम्बर, 2021) के अन्तर्गत हैं।

पावरग्रिड केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू), ने चरण-I के अन्तर्गत पारेषण प्रणाली के निष्पादन के विनियामक अनुमोदन के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) में दो याचिकाएं (37/एमपी/2019 तथा 23/एमपी/2019) दायर की हैं।

याचिका संख्या 37/एमपी/2019 में, सीईआरसी ने यह अवलोकन किया कि "याचिकाकर्ता ने पश्चिमी क्षेत्र में संभावित सौर तथा पवन ऊर्जा क्षेत्रों से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली के निष्पादन हेतु विनियामक अनुमोदन प्रदान करने के लिए आयोग के समक्ष आने से पूर्व पारेषण योजना विनियमों तथा विनियामक अनुमोदन विनियमों के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है। इसलिए, हम वर्तमान याचिका में निर्णय लेने में असमर्थ हैं।"

जहां तक याचिका संख्या 23/एमपी/2019 का संबंध है, सीईआरसी ने याचिकाकर्ता को शपथ-पत्र पर अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने के निदेश दिये हैं।

केन्द्र सरकार ने सीटीयू से सीईआरसी विनियमों की शीघ्र अनुपालना करने को कहा है।

(ग) : चरण-I के अन्तर्गत आरई परियोजनाओं से जुड़ी अन्तर्राज्यीय पारेषण योजनाओं पर पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्र की पारेषण संबंधी क्षेत्रीय स्थायी समिति, पारेषण संबंधी राष्ट्रीय समिति (एनसीटी) तथा पारेषण संबंधी अधिकार प्राप्त समिति (ईसीटी) में पहले ही जनवरी, 2019 में सहमति हो गई है। आरई परियोजना के 12.4 गीगावाट से जुड़ी पारेषण प्रणाली के लिए बोली प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और इसके सितम्बर, 2019 तक पूरा होने की संभावना है।

(घ) : प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली मार्ग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही उपर्युक्त आरई परियोजनाओं से संबंधित पारेषण प्रणाली की बोली प्रक्रिया चालू है और इसके अधिकांश खण्डों का पूरा किया जाना दिसम्बर, 2020 तक निर्धारित है।

(ङ) : आरई विद्युत की निकासी के लिए अन्तर्राज्यीय पारेषण योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए, बोली प्रक्रिया तथा विनियामक अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया साथ-साथ की जा रही है। सरकार द्वारा आरई उत्पादन तथा संबद्ध पारेषण प्रणाली के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए एक कार्यदल भी गठित किया गया है।

****